न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 20/25 सन् 2025

GCMS NO-2025/274

बउनवानी:— 1. जाकिर हुसैन पुत्र स्व0 श्री कमरूद्दीन मुसलमान नि0 भगवतगढ तह.चौथ का बरवाडा
2. साकिर हुसैन पुत्र स्व0 श्री कमरूद्दीन मुसलमान नि0 भगवतगढ तह.चौथ का बरवाडा
3. श्रीमति जुम्मा पत्नि स्व0 श्री कमरूद्दीन मुसलमान नि0 भगवतगढ तह.चौथ का बरवाडा
4. साबुद्दीन पुत्र स्व0 श्री कमरूद्दीन मुसलमान नि0 भगवतगढ तह.चौथ का बरवाडा
5. अब्दुल समद पुत्र स्व0 श्री कमरूद्दीन मुसलमान नि0 भगवतगढ तह.चौथ का बरवाडा
6. साबिर हुसैन पुत्र स्व0 श्री कमरूद्दीन मुसलमान नि0 भगवतगढ तह.चौथ का बरवाडा
7.. सरफराज पुत्र स्व0 बसरूद्दीन मुसलमान नि0 भगवतगढ तह.चौथ का बरवाडा
8. हसफाख पुत्र स्व0 बसरूद्दीन मुसलमान नि0 भगवतगढ तह.चौथ का बरवाडा
9. श्रीमति बानो बी पत्नि स्व0 बसरूद्दीन मुसलमान नि0 भगवतगढ तह.चौथ का बरवाडा

बनाम

4. कमेलश पुत्र स्व0 मदनलाल ब्राहाम्ण नि0 भगवतगढ तह.चौथ का बरवाडा
5. कैलाश पुत्र स्व0 मूलचन्द ब्राहाम्ण नि0 भगवतगढ तह.चौथ का बरवाडा
6. श्रीमति गुडडी पुत्री स्व0 मदनलाल ब्राहाम्ण नि0 भगवतगढ तह.चौथ का बरवाडा
7. श्रीमति गायत्री पुत्री स्व0 रामबिलास पत्नि बाबूलाल शर्मा नि0 भगवतगढ तह.चौथ का बरवाडा हाल ग्राम डिडायच तह0 चौथ का बरवाडा
8. श्रीमति चन्द्रकान्ता पुत्री स्व0 रामबिलास पत्नि अरविन्द शर्मा नि0 भगवतगढ तह.चौथ का बरवाडा हाल ग्राम चनानी तहसील निवाई
9. प्रहलाद पुत्र मूल चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी
10. श्रीमति प्रेम पत्नि रामबिलास जाति ब्राहम्ण नि0 भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा
11. बनवारी पुत्र स्व. रामबिलास जाति ब्राहम्ण नि0 भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा
12. बाबू पुत्र स्व0 रामबिलास जाति ब्राहम्ण नि0 भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा
13. श्रीमति मंजू पुत्री रामबिलास जाति ब्राहम्ण नि0 भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा
14. मुरारी पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहम्ण नि0 भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा
15. सुरेश पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण नि0 सेदरी तहसील उनियारा
16. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा
17. सरपंच ग्राम पंचायत भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामान्तरकरण संख्या 1742 दिनांक 7.8.2024 वाके ग्राम भगवतगढ अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता वकील अपीलान्टगण
2. श्री कमलेश कुमार जैन वकील रेस्पो.

—: निर्णय :— दिनांक 1.4.2026

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1742 दिनांक 7.8.2024 वाके ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने से खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट्स एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में चाचा—ताऊ के पुत्रगण हैं जिनके पिता कमरुद्दीन पुत्र रोशन खां की मृत्यु अरसा करीब 10 साल पूर्व तथा बसरुद्दीन पुत्र स्व० रोशन खां की मृत्यु अरसा करीब 3 साल पूर्व हो चुकी है जो सभी चाँदखा व रोशनखा पुत्र अलाद्दीन के वंशज हैं, उसी प्रकार से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 12 भी एक ही परिवार के सदस्य हैं। पटवार हल्का ने यह विवादित नामांतरण संख्या 1742 दिनांक 03.06.2024 को खातेदार नंदकिशोर पुत्र जयनारायण ब्राह्मण निवासी भगवतगढ़ की मृत्यु पर

.....(1).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पो० संख्या 1 लगायत 12 को उसका वारिस मानते हुए भरा गया है तथा तहसीलदार जी महोदय ने इसे स्वीकार कर तस्दीक फरमाया है जो कि कतई अवैध होने से अपास्त होने योग्य है। नामा0 पटवार हल्का ने रेस्पोडेन्ट्स द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपनी पटवारी रिपोर्ट को आधार बनाकर मृतक खातेदार नंदकिशोर पुत्र जयनारायण ब्राह्मण का रेस्पोडेन्ट्स 1 लगायत 12 को वारिस होना मानकर उनके पक्ष में विरासत का यह नामांतरण भरा है तथा इन्ही आधारों पर तहसीलदार जी महोदय ने स्वीकार कर तस्दीक फरमाया है, पटवारी हल्का ने वारिसान की बिना उचित जाँच किये एवं रेस्पोडेन्ट के प्रभाव मे आकर अपनी जाँच रिपोर्ट में मूलचंद को बिल्कुल गलत व अवैध रूप से नंदकिशोर पुत्र जयनारायण का खास भाई होना बता दिया तथा मूलचंद के पुत्रगण में मदनलाल, राधेश्याम, लक्ष्मीनारायण, रामबिलास, प्रहलाद, कैदार व कैलाश होना एवं मदनलाल की मृत्यु पर रेस्पोडेन्ट्स गुडडी सुरेश, कमलेश वगैरा को उनके पुत्र पुत्रीया व उसी प्रकार से रामबिलास के वारिसान रेस्पो० श्रीमति प्रेम, बाबू, बनवारी, चन्द्रकान्ता, गायत्री व मंजू होना बताया है तथा जीवित पुत्रो में प्रहलाद व कैलाश को बताया है तथा उसी प्रकार से रेस्पोडेन्ट्स ने भी अपना गलत व मिथ्या शपथ पत्र पेशकर स्वयं को नंदकिशोर पुत्र जयनारायण का वारिस होना बताया है जबकि रेस्पो० नम्बर 1 लगायत 12 मृतक नंदकिशोर पुत्र जयनारायण ब्राह्मण के वारिसान नही है बल्कि नंदकिशोर पुत्र जयनारायण ब्राह्मण अविवाहित नाऔलाद फोत हुआ था जिसके कोई वारिसान नही है। ग्राम भगवतगढ़ में नंदकिशोर पुत्र भोरीलाल खातेदार था तथा उसकी विरासत का नामांतरण जो खोला गया उसमें मूलचंद को नंदकिशोर पुत्र भोरीलाल का खास भाई होना बताकर एवं मूलचंद की मृत्यु हो जाने से मूलचंद के पुत्रगण प्रहलाद व कैलाश एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स के पिता मदनलाल, राधेश्याम, रामबिलास को नंदकिशोर पुत्र भोरीलाल ब्राह्मण का वारिस मानकर उसकी विरासत का नामांतरण उनके पक्ष में खोला गया था जो नामांतरण संख्या 227 स्व० मदनलाल, राधेश्याम, रामबिलास, प्रहलाद, कैलाश पिसरान स्व० मूलचंद के नाम खुलकर दिनांक 02.10.2000 को तस्दीक हुआ था जो कि सरपंच ग्राम पंचायत ने ही तस्दीक किया था। इस नामांतरण के मुताबिक रेस्पोडेन्ट्स के पिता/पितामह स्व० मूलचंद ब्राह्मण मृतक नंदकिशोर पुत्र जयनारायण ब्राह्मण का पुत्र न होकर नंदकिशोर का खास भाई नही था बल्कि वह नंदकिशोर पुत्र भोरीलाल का भाई था लेकिन रेस्पोडेन्ट्स ने पटवार हल्का से मिलीभगत कर गलत सजरा रिपोर्ट तैयार करवाकर एवं गलत व मिथ्या शपथ पत्र पेशकर मूलचंद को नंदकिशोर पुत्र जयनारायण का खास भाई होना बताकर एवं उस आधार पर रेस्पोडेन्ट्स को उसका वारिस होना बताकर यह अवैध नामांतरण खुलवा लिया। तहसीलदार जी महोदय ने भी इसके बारे मे विस्तृत जाँच नही करवायी एवं पटवार हल्का की मिथ्या एवं मनगढ़ंत रिपोर्ट तथा रेस्पोडेन्ट्स के मिथ्या शपथ पत्र को सही एवं उचित होना मानते हुए नामांतरण को स्वीकार कर तस्दीक कर दिया। इसके अलावा राजस्व रिकार्ड से यह भी जाहिर होता है कि वास्तव में मूलचंद नंदकिशोर पुत्र भोरीलाल का भी खास भाई नही था बल्कि वह भोरीलाल का पुत्र ना होकर मिश्रीलाल का एकमात्र पुत्र था तथा मिश्रीलाल की कृषि भूमि मूलचंद को प्राप्त हुई तथा मूलचंद की मृत्यु उपरांत मूलचंद के पुत्रान मदनलाल, राधेश्याम, रामबिलास, प्रहलाद, कैलाश के नाम विरासत का नामांतरण खुलकर उन्हें प्राप्त हुई। इस प्रकार बार-बार अलग अलग व्यक्तियो के वारिसान बनकर रेस्पोडेन्ट्स व उनके पिताओ ने गलत व नाजायज रूप से नामांतरण खुलवाकर तस्दीक करवा लिया जो कतई गलत व अवैध होने से अपास्त होने योग्य है। यदि रेस्पोडेन्ट्स वास्तव में नंदकिशोर पुत्र जयनारायण के वारिसान होते तो नंदकिशोर की मृत्यु के तुरंत बाद ही अपने पक्ष मे नामांतरण खुलवाने की कार्यवाही करते जबकि उसकी मृत्यु 08.07.1992 को हो गयी थी तथा यह नामांतरण उसकी मृत्यु के 32 साल बाद खोला गया है इतनी लम्बी अवधि तक नामांतरण नही खुलवाने का सीधा सीधा अर्थ यह निकलता है कि रेस्पोडेन्ट्स अथवा उनके पिता उसके वारिसान नही थे जिस कारण उन्होने एक लम्बी अवधि तक नामांतरण खुलवाने की कार्यवाही नही की तथा आखिर में सोची समझी चाल रचकर एवं पटवारी हल्का से मिलीभगत कर 32 साल बाद मे यह अवैध नामांतरण खुलवाकर तस्दीक करवा दिया। पटवार हल्का ने नामांतरण जेरे अपील की आराजी खसरा नम्बर 1023 रकबा 1.23 है0 (साबिक ख०नं० 456 रकबा 4 बीघा 17 विस्वा) में मौके पर कब्जे बावत कोई जाँच नही की जबकि इस भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 10 का अथवा उनके पूर्वज मूलचंद ब्राह्मण का आज दिन

.....(2).....

(कानाराम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

तक कतई कब्जा काश्त नही रहा बल्कि शुरू से ही इस भूमि पर अपीलान्ट्स के पूर्वज चाँदखा का कब्जा काश्त था तथा उसकी मृत्यु उपरांत अपीलान्ट्स के पिता/पितामह काबिज हुये तथा उनकी मृत्यु उपरांत अपीलान्ट्स काबिज होकर काश्त करते आये है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 कैलाश ने दिनांक 20.07.2025 को विवादित भूमि पर आकर अपीलान्ट संख्या 1 जाकिर हुसैन को आकर धमकाया कि इसका नामांतरण अब हमारे नाम खुल गया है तथा हम इसको बेचने की फिराक में है इसलिए तुम यदि अपना फला चाहते हो तो आईन्दा कभी जमीन पर मत आना। यह सुनकर अपीलान्ट को बडा आश्चर्य हुआ तथा दिनांक 21.07.2025 को अपीलान्ट संख्या 1 पटवारी हल्का के पास गया तथा इसके बारे मे जानकारी की तो उस दिन पटवारी हल्का ने नामांतरण जेरे अपील की जानकारी देने पर अपीलान्ट्स ने उसी दिन पटवारी हल्का से निवेदन कर नामांतरण की नकल प्राप्त की एवं अन्य अपीलान्ट्स को भी इसके बारे मे बताया तथा सभी अपीलान्ट्स ने आपस मे सलाह मशवरा कर एवं खर्चे का इंतजाम कर यह अपील अन्दर मयाद मय दफा–5 के पेश की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर अपील मृतक नन्दकिशोर पुत्र जयनारायण ब्राहाम्ण निवासी भगवतगढ की विरासत का उसके विधिक वारिसान रेस्पो. के नाम दर्ज फैसल किया गया है तथा अपीलान्टगण जाति से मुसलमान है जिनका मृतक नन्दकिशोर की विरासत से कोई लेना देना नही है ओर ना ही अपीलान्ट के पास ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत है जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अधिकार साबित होता हो एवं उक्त भूमि का नामा0 अपीलान्ट के नाम खोला जा सके। आदेश जैर अपील से अपीलान्ट को कोई हित प्रभावित नही होता है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नही है। यह तर्क भी दिया नन्दकिशोर मूलचन्द पुत्रान जयनारायण दोनो सगे भाई थे नन्दकिशोर अविवाहित लाओलाद फोत हो जाने के कारण उसकी विरासत का नामा0 उसके भाई मूलचन्द के वारिसान के नामा खोला गया है कथन के समर्थन मे पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया सजरा खानदान एवं सन् 1988 की मतदासूची पेश की गयी। मृतक नन्दकिशोर की विरासत का उसके विधिम वारिसान के नाम खोला गया नामा0 मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षो द्वारा किये गये कथन पत्रावली मे उपलब्ध दस्तोवजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट के अनुसार आदेश जैर अपील से संबंधित भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त नही होकर अपीलान्टगण का कब्जा काश्त है तथा मृतक नन्दकिशोर के कोई वारिस नही होने से नामा0 संख्या 1742 दिनांक 7.6.2024 विधि विरूद्व है। रेस्पो. के अनुसार नन्दकिशोर एवं मूलचन्द सगे भाई थे नन्दकिशोर अविवाहित लाओलाद फोत हो जाने के कारण नन्दकिशोर की विरासत का उसके विधिक वारिसान मूलचन्द के वारिसान रेस्पो. के नाम खोला गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि से संबंधित ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा कोई रजिस्टर्ड विकय पत्र अथवा किसी न्यायालय का निर्णय इत्यादि पेश नही किया जिसके आधार विवादित भूमि पर अपीलान्ट को अधिकार माना जा सके। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अपीलान्टगण मृतक नन्दकिशोर के वारिसान नही है इसलिए उक्त नामा0 1742 अपीलान्ट के नाम तस्दीक नही हो सकता है। इस प्रकार नामा0 संख्या 1742 मे कोई विधिक त्रुटि नही होने के कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है ।

अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्राावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 1.4.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कानी राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner